

सरकार रोग निवारण एवं नियंत्रण अध्यादेश के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि में करेगी वृद्धि

सरकार ने 04 दिसंबर 2020 को घोषणा की है कि रोग निवारण एवं नियंत्रण अध्यादेश (Cap. 599) के तहत अनुषंगी नियमावली बनाने के लिए गजट में संशोधन किया जाएगा ताकि नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की राशि में वृद्धि की जा सके। नियमावली में यह संशोधन 11 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो जाएगा।

संशोधित नियमावली के तहत लगाई जाने वाली जुर्माने की राशि इस प्रकार है :
रोग निवारण एवं नियंत्रण (समूह में इकट्ठा होने पर प्रतिबंध) नियमावली (Cap.599G)

1. किसी व्यक्ति का प्रतिबंधित समूह में इकट्ठा होना अपराध माना जाएगा। प्रतिबंधित समूह में शामिल होने का अपराध करने वाले व्यक्ति को अब जुर्माने की राशि \$2,000 की जगह \$5,000 देना होगा।

रोग निवारण एवं नियंत्रण (मास्क पहनना) नियमावली (Cap. 599I)

2. यदि कोई व्यक्ति आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते हुए, एमटीआर क्षेत्र में प्रवेश करते समय या मौजूद रहते हुए, या चिन्हित सार्वजनिक स्थल में प्रवेश करते समय या उपस्थित रहते हुए (खाद्य एवं स्वास्थ्य सचिव द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थल वर्तमान में सभी सार्वजनिक स्थल, पार्क एवं कंट्री पार्क ऑर्डिनेंस (Cap. 208)) की धारा 2 में परिभाषित विशेष क्षेत्र में मास्क का प्रयोग नहीं करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इस अपराध के लिए अधिकतम जुर्माना लेवल 2 (\$5,000) से बढ़ाकर लेवल 3 (\$10,000) कर दिया गया है। इस अपराध के लिए निश्चित जुर्माने की राशि \$2,000 से बढ़ाकर \$5,000 कर दी गई है।

3. यदि कोई व्यक्ति आवश्यकता अनुसार मास्क नहीं पहनता है तो अधिकृत व्यक्ति उसे सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने और चिन्हित क्षेत्रों में प्रवेश करने से मना कर सकता है। ऐसे में उसे मास्क पहनना होगा तथा उसे सार्वजनिक परिवहन से उतरना होगा या उक्त क्षेत्र से बाहर जाना होगा। यदि वह व्यक्ति सार्वजनिक परिवहन से उतरने या चिन्हित क्षेत्र से बाहर जाने से मना करता है तो इसे अपराध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जुर्माने की राशि लेवल 2 (\$5,000) से बढ़ाकर लेवल 3 (\$10,000) की गई है।

रोग निवारण एवं नियंत्रण (व्यक्ति के लिए आवश्यक जांच) नियमावली (Cap. 599J)

4. अनिवार्य जांच निर्देश या अनिवार्य जांच नोटिस का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा। इसके लिए उस व्यक्ति को अधिकतम जुर्माना लेवल 1 (\$2,000) की जगह लेवल 3 (\$10,000) देना होगा। ऐसी स्थिति में निश्चित जुर्माने की राशि \$2,000 से बढ़ाकर \$5,000 कर दी गई है।